न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपालसिंह आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या– 6/2016 मुतफरिक
दायर दिनांक– 19.7.2016
तारीख फैसल – 21.3.17

1–केवल पिता गमीरा पटेल निवासी गडा जसराजपुर तहसील गलियाकोट
2– केशव पिता गमीरा पटैल निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट
(प्रार्थीगण)

बनाम

1– श्री शब्बीर पिता मोहम्मद पोपट जाति बोहरा निवासी गडा जसराजपुर
2– श्री फखरूद्धीन पिता अब्दुल हुसैन फौजी जाति बोहरा निवासी गडा जसराजपुर
3– भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गलियाकोट ।
(अप्रार्थीगण)

वकील प्रार्थीगण – श्री मयंक दोसी
वकील अप्रार्थीगण – ––

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0टि0एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1,2 सपठित धारा 151 जा0दी0

निर्णय

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रथक से प्रस्तुत कर इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 गांव गडाजसराजपुर के रहने वाले है । यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व कब्जेदारी की वर्तमान खसरा नम्बर 1919 रकबा 01 एक बिस्वा कृषि भूमि मोजा गडाजसराजपुर में स्थित है । उक्तआराजी प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की ओर इस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है । विपक्षीगण संख्या 1 व 2 जबरन प्रार्थीगण की उक्तआराजी को हडपना चाहते हैं एवं आये दिन लडाई झगडा करते रहते हैं। अप्रार्थीगण को इस भूमि पर नाजायज तरिके से कब्जा करने का प्रयास करने का कोई हक नहीं है । विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जेदारी की उक्त आराजी व क्षेत्रफल की भूमि पर अतिक्रमण करने उतारू है एंव नींव खोदकर इस भूमि पर निर्माण के लिए उतारू हैं जिससे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण ने प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा संतुलन उनपके पक्ष में होना बताते हुए प्रार्थना पत्र के अन्त में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की खसरा नम्बर 1919 रकबा 01 एक बिस्वा पर प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार का दखल नहीं करे इस पर अतिक्रमण

Scanned by CamScanner

करने का प्रयास नहीं करें न ही इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें ओर न ही किसी मित्र एजेण्ट ठेकेदार के माध्यम से ऐसा प्रयास करें ।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी खाता संख्या 120 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किए गए ।अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध दिनांक 24.10.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी खाता संख्या 120 मौजा गडाजसराजपुर संवत 2069–72 की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि प्रार्थीगण खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं तथा मौके पर उनका कब्जा है ।वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव कब्जे की उक्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर निर्माण के लिए उतारू है अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 120 में खातेदार के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज है । प्रार्थीगण आराजी नम्बर 1919 रकबा 01 बिस्वा के खातेदार दर्ज रेकार्ड है तथा वकील वादी द्वारा बहस के दौरान बताये गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा स्वामित्व है । चूँकि आराजी संख्या 1919 रकबा 01 बिस्वा प्राथीगण की खातेदारी होकर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एंव कब्जेदारी की खसरा नम्बर 1919 रकबा 01 एक बिस्वा पर प्रार्थीगण के कब्जे में किसी प्रकार का दखल नहीं करे इस पर अतिक्रमण करने का प्रयास नहीं करें न ही इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें ओर न ही किसी मित्र एजेण्ट ठेकेदार के माध्यम से ऐसा प्रयास करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.3.2017 को सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो । मूल वाद के साथ संलग्न की जावे ।

(गोपालसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner